निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

करण संख्या 51/2025
दायरा दिनांकः–16.06.2025
निर्णय दिनांकः– 16.9.25

उनवान

1. रामलाल आयु 50 वर्ष पुत्र धुलीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम नगदी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 16.9.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री मनीष मालव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया प्रार्थी के शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 49 की खसरा संख्या 154 की रकबा 0. 8347 हैक्टयर, खसरा नम्बर 83 रकबा 0.0126 हैक्टयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 0.8473 हैक्टयर जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/10 स्थित है। एंव खाता संख्या 48 की भूमि खसरा नम्बर 153 की रकबा 2.6937 हैक्टयर कुल किता 1 की रकबा 2.6937 हैक्टयर भूमि वाके माल ग्राम नगदी में स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/30 स्थित है जो दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है जिसकी वर्तमान जमाबंदीं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिसे आगे वाद पत्र मे विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता धुलीलाल का फौती इंतकाल खोलते समय राजस्य कर्मचारियो ने सहवन से प्रार्थी का नाम इन्तकाल मे रामलाल पुत्र धुलीलाल के स्थान पर घर में बोलता नाम रामदयाल पुत्र धूल्या दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामलाल पुत्र धुलीलाल है जिसे दुरूस्तीकरण किया जाकर रामदयाल पुत्र धूल्या के स्थान पर रामलाल पुत्र धुलीलाल किया जाना आवश्यक है। जिसको दुरूस्त करवाने का प्रार्थी को वैधानिक अधिकार है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड सभी मे प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र धुलीलाल दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम रामदयाल पुत्र धूल्या दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

. 1 में वर्णित भूमि के खाते पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवेल लगाकर तारफैन्सिग कर, भूमि समतल करवाकर प्रगति शील काश्त करना चाहता परन्तु जो प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड मे नाम दुरस्तीकरण किये बिना संभव नही है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नगदी तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 48 नकल जमाबन्दी ग्राम नगदी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 49 पेश की गई। फोटो प्रति परिवार, राशन कार्ड, फोटो प्रति पहचान पत्र है श्रम कार्ड आधार कार्ड जन आधार कार्ड जॉब कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नगदी तहसील छबडा में स्थित है। विवादित आराजी को पूर्वजो के समय से काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी के पिता धुलीलाल का फोती नामान्तरण खोलतें समय सहवन से प्रार्थी का इन्तकाल में रामलाल पुत्र धुलीलाल के स्थान पर बोलता नाम रामदयाल पुत्र धुल्या दर्ज कर दिया। जबकि वास्तविक नाम रामलाल पुत्र धुलीलाल है प्रार्थी रामदयाल पुत्र धुल्या के स्थान पर रामलाल पुत्र धुलीलाल दुरूस्त कराना चाहता है प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात में रामलाल पुत्र धुलीलाल दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम रामदयाल पुत्र धुल्या दर्ज होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रामदयाल पुत्र धुल्या के स्थान पर रामलाल पुत्र धुलीलाल दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी खातेदार ग्राम नगदी में खाता संख्या 48 में खसरा नम्बर 153 रकबा 2.6937 है0 हिस्सा 1/30 रामदयाल पुत्र धुल्या जाति लोधा एवं खाता संख्या 49 में खसरा नम्बर 154 रकबा 0.8347 है0 खसरा नम्बर 83 रकबा 0.0126 है0 कुल किता 2 रकबा 0.8473 है0 हिस्सा 1/10 में रामदयाल पुत्र धुल्या जाति लोधा के नाम पर वर्तमान में खाता सम्बन्धित खातेदारी में दर्ज है उक्त खाते में प्रार्थी अपना नाम शुद्ध करवाना चाहता है। खाते में प्रार्थी का नाम रामदयाल पुत्र धुल्या के स्थान पर रामलाल पुत्र धुलीलाल करवाना चाहता है प्रार्थी के गांव में जाकर ग्रामीणों से पुछा गया तो उन्होने रामदयाल को रामलाल के नाम से भी जानतें है रामदयाल एवं रामलाल एक ही व्यक्ति के नाम है प्रार्थी का राशन कार्ड आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, एवं बैंक खाते में सभी जगह रामलाल दर्ज है तहसीलदार छबडा द्वारा रामदयाल पुत्र धुल्या के स्थान पर रामलाल पुत्र धुलीलाल दुरूस्त करने की अनुशंषा की है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नगदी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 48 में रामदयाल पुत्र धुल्या हिस्सा 1/30 दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम नगदी सम्वत् 2074–77 खांता संख्या 49 में रामदयाल पुत्र धुल्या हिस्सा 1/10 दर्ज है प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

कार्ड, फोटो पहचान पत्र ई–श्रम कार्ड, आधार कार्ड जन आधार कार्ड, एवं जॉब कार्ड में रामदयाल पुत्र धुलीलाल दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रामदयाल पुत्र धुल्या दर्ज है तथा प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में रामलाल पुत्र धुलीलाल दर्ज है प्रार्थी अपना नाम अन्य दस्तोवजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरूस्त करवाना चाहता है तहसीलदार छबडा द्वारा भी ग्राम नगदी में ग्राम वासियों के अनुसार रामदयाल व रामलाल पुत्र धुल्या व धुलीलाल एक ही व्यक्ति होना बताया है प्रार्थी को गांव मं रामदयाल व रामलाल दोनो नामों से जानतें है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य समस्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियार जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम नगदी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 153 रकबा 2.6937 है0 खसरा नम्बर 54 रकबा 54 रकबा 0.8347 है0 खसरा नम्बर 83 रकबा 0.0126 है0 में प्रार्थी का नाम रामदयाल पुत्र धुल्या के स्थान पर रामदयाल उर्फ रामलाल पुत्र धुलीलाल दर्ज करने के आदेंश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा